# कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवम् अधीक्षक मुद्रांक मध्यप्रदेश, भोपाल

(पंजीयन भवन, द्वितीय तल, पुरानी विधानसभा के सामने, भोपाल– 462 003)

क्रमांक 163 /सम्पदा–23/2015 भोपाल, दिनांक 07.02.2015

प्रति

समस्त वरिष्ठ जिला पंजीयक / जिला पंजीयक,
उज्जैन, सीहोर, टीकमगढ़, अनूपपुर तथा बालाघाट।

विषय– सम्पदा एप्लीकेशन के संबंध में निर्देश।

उपर्युक्त विषयांतर्गत निर्देशित किया जाता है कि –

1. पायलेट जिला उज्जैन द्वारा अवगत कराया गया है कि सम्पदा में भुगतान के दौरान SBI Debit Card का उपयोग करने में कुछ परेशानियां आयी थीं। कोषालय से चर्चा के उपरान्त निम्नांकित कारण ज्ञात हुए हैं, जिनसे SBI Debit Card से भुगतान में परेशानियां आ सकती हैं, अतः सर्विस प्रोवाइडर्स एवम् आम जनता को अवगत कराने का कष्ट करें कि –

(क) धीमी इन्टरनेट कनेक्टिविटी के कारण संव्यवहार होने में अक्सर परेशानी आती है, अतः सुचारू इन्टरनेट का ही उपयोग करें तथा संव्यवहार के दौरान बेवसाइट पर आने वाले निर्देशों का अक्षरशः पालन करें एवम् रिफ्रेश या बैक बटन न दबाएं।

(ख) SBI के कुछ Debit Card पर इन्टरनेट संव्यवहार करने की अनुमति नहीं होती है। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता के पैसे कट जाते हैं, इसलिए कार्ड पर संव्यवहार करने के पूर्व अपनी SBI शाखा से सुनिश्चित कर लें कि आपका कार्ड इन्टरनेट संव्यवहार के लिए मान्य है।

(ग) हर माह दिनांक 30 से अगले माह की 03 तारीख तक कोषालय पर संव्यवहारों का अत्यधिक भार रहता है, अतः कोशिश करें कि आपके संव्यवहार इन दिनांकों के पूर्व या पश्चात हों।

2. ईएम आदि के मामलों में दस्तावेज के साथ प्रस्तुत भौतिक स्टाम्पों की राशि का समायोजन भी सम्पदा में किया जा सके, इसके लिए इनीशिएशन के समय भौतिक स्टाम्पों की जानकारी फीड की जाती है।

दस्तावेज प्रस्तुत होने पर उप पंजीयक यह सुनिशिचित करेंगे कि प्रस्तुत किए गए स्टाम्पों की राशि यदि फीड की गयी राशि से अधिक हो, तो उसे संशोधित न किया जाए। उदाहरणार्थ अगर इनीशिएशन के दौरान स्टाम्पों की राशि 5,000 रूपए फीड की गयी है और प्रस्तुत स्टाम्प 5,500 रूपए मूल्य के हैं, तो फीड की गयी राशि को 5,500 रूपए नहीं किया जाएगा।

निरन्तर 2

परन्तु यदि प्रस्तुत किए गए स्टाम्पों की राशि फीड की गयी राशि से कम हो, तो उप पंजीयक एप्लीकेशन में चैक बॉक्स को अनचैक करेंगे, जिसमें यह पूछा जाता है कि क्या आप चुकाए जाने वाले शुल्क से सहमत हैं ? उदाहरणार्थ ईएम में लगने वाली स्टाम्प शुल्क की कुल राशि यदि 10,000 रूपए हो और इनीशिएशन के दौरान भौतिक स्टाम्पों की राशि 5,000 रूपए फीड की गयी हो, किन्तु वास्तव में मात्र 2,000 रूपए के भौतिक स्टाम्प प्रस्तुत किए गए हों, तो एडीशनल ई–स्टाम्प की राशि 10,000 रूपए – 2,000 रूपए, अर्थात् 8,000 रूपए होगी। उक्त संबंध में उप पंजीयक द्वारा फीड किया जाने वाला विवरण इस प्रकार होगा – चुकायी गयी स्टाम्प शुल्क की राशि 5,000 रूपए, चुकाए गए जनपद शुल्क की राशि 5,000 रूपए, कुल स्टाम्प शुल्क की राशि 10,000 रूपए।

3. यह भी सुनिश्चित करें कि जब भी किसी पक्षकार की फोटो, अंगूठा निशान और हस्ताक्षर कैप्चर किए जाएं तो सबसे पहले उसका प्रिव्यू देखें एवम् पूरी तरह संतुष्ट हो जाने के बाद ही आगामी कार्यवाही करें। कुछ दस्तावेजों में यह पाया गया है कि बिना हस्ताक्षर कैप्चर किए ही उप पंजीयक द्वारा आगामी कार्यवाही कर दी गयी है, जो पूरी तरह से अनुचित है।

Dipali Rastogi

महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश।

पृष्ठांकन क्रमांक 164 /सम्पदा–23/2015 भोपाल, दिनांक 07.02.2015

प्रतिलिपि –

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल को सूचनार्थ।
2. कलेक्टर – जिला उज्जैन, सीहोर, टीकमगढ़, अनूपपुर तथा बालाघाट को सूचनार्थ।
3. क्षेत्रीय उप महानिरीक्षक पंजीयन की ओर आवश्यक कार्रवाई हेतु।

महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश।